न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–आर. के. जायसवाल, आई.ए.एस , कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

प्रकरण संख्या :– 10/2020 (आर0सी0एम0एस0 नं0 2020/00025)

व उनवानी प्रकरण :–

ब्रजराज सिहं पुत्र मौहरपाल सिहं जाति ठाकुर निवासी मूला बोहरे का पुरा थाना बसेडी जिला धौलपुर———————————————————— .प्रार्थी ।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग जिला कलैक्ट्रैट धौलपुर ————————————————अप्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र बावत आर्म्स अनुज्ञा पत्र बहाल/ नवीनीकरण अन्तर्गत धारा 54 आयुध नियम 1962

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से :– श्री हर्ष भारद्वाज अभिभाषक ।
2 अप्रार्थी की ओर से :–सुश्री दिव्या कमठान अभियोजन अधिकारी।

निर्णय दिनांक 01.03.2021

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी श्री ब्रजराज सिहं पुत्र मौहरपाल सिहं जाति ठाकुर निवासी मूला बोहरे का पुरा थाना बसेडी जिला धौलपुर द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 09/92 जो कि दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत था, को आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक 16.12.2016 को प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी के आवेदन पत्र पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धोलपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 680 दिनांक 07.02.2017 से प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुसंषा की। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 09/1992 को दिनांक 29.8.2018 को निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये थे ।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर

उक्त आदेश दिनांक 29.8.2018 से व्यथित होकर प्रार्थी ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर में अपील दायर की। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 19.12.2019 के द्वारा प्रार्थी की अपील स्वीकार कर अप्रार्थी के आदेश दिनांक 29.8.2018 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि प्रार्थी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुये अपीलान्ट के चाल चलन के संबध में नये सिरे रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें।

माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर के आदेश दिनांक 19.12.2019 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से श्री हर्ष भारद्वाज अभिभाषक उपस्थित हुऐ। अप्रार्थी की ओर से सुश्री दिव्या कमठान अभियोजन अधिकारी उपस्थित हुई। प्रकरण में अनुज्ञा पत्र बहाली/नवीनीकरण के सम्बन्ध में दिनांक 17.9.2020, से जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 31.10.2020 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल/नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में थानाधिकारी थाना बसेडी मार्फत वृत्ताधिकारी वृत्त सरमथुरा से जांच कराई गई। उक्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 285/10 थाना बसेडी में जरिये चार्जशीट नम्बर 165/10 धारा 323, 341,34 आईपीसी में किता कर चालान पेश न्यायालय किया गया है जिसमें प्रार्थी को निर्णय दिनांक 30.08.2010 के बरूये राजीनामा बरी किया गया है। व मु0न0 32/10 थाना गढी बाजना जिला भरतपुर में जरिये चार्जशीट नम्बर 26 दिनांक 20.05.2010 धारा 379 आईपीसी व 41 व 42 फोरेस्ट एक्ट में किता कर चालान पेश न्यायालय किया गया है जिसमें माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट बयाना जिला भरतपुर के निर्णय दिनांक 21.07.2015 द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध दोषसिद्व मानते हुये 500/—रूपये का जुर्माना से दण्डित किया है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने रिपोर्ट में यह भी अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा इस अवधि में शस्त्र का कोई दुरूपयोग नहीं किया है। प्रार्थी के खिलाफ पूर्व में नवीनीकरण दिनांक 31.12.2016 के बाद कोई अभियोग पंजीबद्ध नहीं हुआ है। प्रार्थी का चरित्र व चाल चलन अच्छा पाया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी उक्त रिपोर्ट में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल किये जाने की अनुशंषा की है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी ने अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 09/92 को समयावधि में नवीनीकरण कराये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर जिला पुलिस

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर

अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 680 दिनांक 07.02.2017 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 285/10 थाना बसेडी में जरिये चार्जशीट नम्बर 165/10 धारा 323, 341,34 आईपीसी में किता कर चालान पेश न्यायालय किया गया है जिसमें प्रार्थी को निर्णय दिनांक 30.08.2010 के बरूये राजीनामा बरी किया गया है। व मु0न0 32/10 थाना गढी बाजना जिला भरतपुर में जरिये चार्जशीट नम्बर 26 दिनांक 20.05.2010 धारा 379 आईपीसी व 41 व 42 फोरेस्ट एक्ट में किता कर चालान पेश न्यायालय किया गया है जिसमें माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट बयाना जिला भरतपुर के निर्णय दिनांक 21.07.2015 द्वारा प्रार्थी को धारा 379 में दोषमुक्त व 41,42 वन अधिनियम में 500/–रूपये का जुर्माना से दण्डित किया है। वर्ष 2010 के पश्चात् प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नियमित रूप से नवीनीकरण होता आ रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि उक्त अवधि में प्रार्थी द्वारा शस्त्र का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है । प्रार्थी का चाल चलन अच्छा रहा है। प्रार्थी का शस्त्र पुलिस थाना बसेडी में जमा है। प्रार्थी एक सीधा सादा व्यक्ति है। प्रार्थी को जानमाल की सुरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता है। शस्त्र थाने में जमा है जिसके खराब होने की आशंका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 09/92 को नवीनीकरण किये जाने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस के दौरान तर्क किया कि प्रार्थी अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके विरूद्ध थाना बसेडी में पूर्व में मुकदमा दर्ज हो चुका है। प्रार्थी एक झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है, जो कभी भी हथियार का दुरूपयोग कर कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति भंग कर सकता हैं। ऐसे हालातों के मद्दे नजर लोकशान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से एवं शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है, जो कतही गलत नहीं है। आदेश दिनांक 29.08.2018 को कानून के दायरे में रहकर ही पारित किया गया है, जो पूर्णरूपेण न्यायसंगत है, जिसमें कतई किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की वहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन किया गया । प्रार्थी ने समयावधि में अपना शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु आवेदन अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध वर्तमान में थाने पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। प्रार्थी का चाल चलन अच्छा है। प्रार्थी का शस्त्र थाना बसेडी में ज़मा है। जिला पुलिस अधीक्षक

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर

धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 285/2010 दर्ज होना अंकित किया है। जिसका निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी को राजीनामा के आधार पर वरी हो चुका है तथा मुकद्दमा संख्या 32/10 प्रार्थी दोषमुक्त हो चुका है और जो जुर्माना 500/–रू0 का लगाया गया है वह रवन्ना के अभाव में लगाया गया है इसके अलावा प्रार्थी का निरन्तर अनुज्ञापत्र नवीनीकरण होता भी रहा है । उक्त प्रकरणों का निस्तारण पूर्व में ही हो चुका है। वर्ष 2010 के पश्चात् प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नियमित रूप से नवीनीकरण होता चला आ रहा है। वर्ष 2010 के पश्चात् प्रार्थी के विरूद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ हैं। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल/नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा की है। राज्य सरकार के गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांकः प.1.(13)गृह–9/2006 दिनांक 16.12.2006 के बिन्दु संख्या 5 के उप बिन्दु (5.2. 4) में अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण आवेदन के निस्तारण बावत निर्देश दिये गये हैं कि **"तदन्तर अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञापत्र धारी के आचरण बावत संतुष्टि की जाकर अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करेगा।"** राज्य सरकार के परिपत्र की पालना में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ब्रजराज सिहं पुत्र मौहरपाल सिहं जाति ठाकुर निवासी मूला बोहरे का पुरा थाना बसेडी जिला धौलपुर के आर्म्स अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा पारित आदेश कमांक 3626–29 दिनांक 29.08.2018 निरस्त किया जाकर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 09/92 को दिनांक 31.12.2021 तक नवीनीकरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को दी जावे। पत्रावली फैसलशुमार हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राकेश कुमार जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर